इग्नू
जन–जन का
विश्वविद्यालय

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

आईजी/आरयू/2017/365/318
नवंबर, 06, 2019

अधिसूचना

इग्नू अधिनियम, 1985 (1985 का 50) के परिनियम 26(2) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 22/12/2018 को आयोजित अपनी 131वी बैठक में विश्वविद्यालय में शोध उपाधि कार्यक्रम का संचालन करने के लिए निम्नलिखित विनियम तैयार किए हैं, जिनमें तत्पश्चात किए गए कुछ परिवर्तनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संप्रेषित किया गया है। इसे विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन मा.सं.वि.मं. के दिनांक 17/06/2019 के पत्र सं. एफ.5–15/2014–डीएल(पीटी.) द्वारा व्यक्त किया गया है। यह पूर्व अधिसूचना सं. आईजी/आरयू/अधिसूचना.2017/6806 दिनांक 27/03/2017 को अधिक्रमित करता है।

शोध उपाधि कार्यक्रम संचालित करने के लिए विनियम
(इग्नू अधिनियम, 1985 की धारा 27 और इग्नू शोध अध्यादेश विश्वविद्यालय के परिनियम 9ए (एए) के साथ गठित)

1. प्रस्तावना

इग्नू अधिनियम, 1985 की धारा 27 और परिनियम 9ए (एए) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके द्वारा शोध उपाधि, कार्यक्रम संचालित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है। इन विनियमों को **शोध उपाधि कार्यक्रम संचालित करने के लिए इग्नू विनियम (आईआरसीआरडीपी) कहा जाएगा।**

इन विनियमों में शोध उपाधि अर्थात दर्शनशास्त्र में मास्टर (एमफिल), डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी(पीएचडी), प्रदान करने की प्रकिया का विवरण दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शोध के निर्धारित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत शोधार्थी को शोध उपाधि प्रदान की जाएगी।

2. सांविधिक संरचनाएं

दर्शनशास्त्र में मास्टर (एमफिल)/डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी(पीएचडी) की उपाधि संबंधी शोध अध्ययन, शैक्षिक परिषद (एसी), शोध परिषद(आरसी), विद्यापीठ बोर्ड (एसबी), डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) और शोध समिति द्वारा शोध उपाधि कार्यक्रम संचालित करने के लिए इग्नू शोध अध्यादेश और इग्नू विनियम में निर्दिष्ट उनकी संबंधित भूमिका के अनुसार संचालित और प्रबंधित किए जाएंगे।

3. डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) का गठन और कार्य:

3.1.1 शोध उपाधि कार्यक्रम प्रदान करने हेतु प्रत्येक विषय–क्षेत्र के लिए एक डॉक्टरल शोध समिति की व्यवस्था होगी, जो शोध परिषद और शैक्षिक परिषद द्वारा अनुमोदित इन विनियमों के अनुसार संबंधित विषय–क्षेत्र में शोध उपाधि कार्यक्रमों के सभी पहलुओं पर निगरानी बनाए रखेगी। डॉक्टरल शोध समितियाँ, संबंधित विद्यापीठ बोर्डों की निगरानी में कार्य करेंगी। हांलाँकि, यदि किसी भी विषय–क्षेत्र में एक से अधिक डॉक्टरल कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हों तो, ऐसे प्रत्येक शोध उपाधि कार्यक्रम की एक अलग डॉक्टरल शोध समिति होगी।

प्रशासन प्रभाग
Administration Division
T : +91-11-29532098, 29571402
F : +91-11-29532312

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
Indira Gandhi National Open University
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली - 110068, भारत | www.hindi.ignou.ac.in
Maidan Garhi, New Delhi - 110068, INDIA | www.ignou.ac.in

3.1.2 डॉक्टरल शोध समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

(i) विद्यापीठ का निदेशक (अध्यक्ष)

(ii) विषय–क्षेत्र के सभी पात्र शोध पर्यवेक्षक

(iii) तीन वर्ष के लिए विद्यापीठ बोर्ड द्वारा संस्तुत और कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल से ही अथवा सम्बद्ध विषय–क्षेत्रों से (कम से कम एक और अधिकतम तीन) बाहरी विशेषज्ञ डॉक्टरल शोध समिति में संबंधित विद्यापीठ के निदेशक के अनुमोदन से, यदि लागू हो तो संयुक्त पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किए जा सकते हैं।

(iv) विषय–क्षेत्र का शोध कार्यक्रम समन्वयक (संयोजक)

3.1.3 डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) की शक्तियाँ और प्रकार्य:

(i) ऐसी सभी गतिविधियों पर सलाह देना, जो विषय–क्षेत्र के शोध उपाधि कार्यक्रम के संबंध में प्रासंगिक हों।

(ii) शोध उपाधि कार्यक्रम में पंजीकरण करने/रद्द करने के लिए विद्यापीठ बोर्ड के समक्ष योग्य शोधार्थियों के नामों की सिफारिश करना।

(iii) भारत सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(iv) इन विनियमों के खंड 9.2 के अनुसार, शोध पर्यवेक्षकों/सह–पर्यवेक्षकों के नाम और कार्यवृत्तों पर विचार एवं इनकी संस्तुति।

(v) कोर्स वर्क का निर्धारण अथवा इसमें छूट प्रदान करना, यदि शोधार्थी द्वारा इस प्रयोजन हेतु यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से समान प्रकार का कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पहले ही पूरा किया हो।

(vi) शोध के विषयों और शोध पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की संस्तुति करना।

(vii) शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के विषय को अंतिम रूप देना।

(viii) शोधार्थी द्वारा अध्ययन की रूपरेखा तय करने और शोध प्रविधि विकसित करने और उचित पाठ्यक्रमों की पहचान करने में उसका मार्गदर्शन करना।

(ix) शोधार्थी के शोध कार्य की समय–समय पर समीक्षा करना और इसे आगे बढ़ाने में उसकी सहायता करना।

(x) प्रत्येक शोधार्थी की शोध कार्य की रूपरेखा पर विचार कर विद्यापीठ के समक्ष इसकी संस्तुति करना।

(xi) शोधार्थियों की प्रगति रिपोर्टों का आकलन और संस्तुति।

(xii) शोध निबंध/शोध प्रबंध के शीर्षक में परिवर्तन यदि आवश्यक हो और शोध पर्यवेक्षक बदलने और शोधार्थी की स्थिति (पूर्णकालिक, अंशकालिक या विलोमतः) में परिवर्तन की संस्तुति करना।

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार शोधार्थी की शोध उपाधि की अवधि में विस्तार के लिए उसका आकलन और संस्तुति और/अथवा लागू होने पर, अध्येतावृत्ति का उन्नयन।

(xiv) सांविधिक निकायों (शैक्षिक परिषद, शोध परिषद और विद्यापीठ बोर्ड) द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य का निर्वहन करना।

3.1.4 शोधार्थी अपने कार्य की प्रगति की प्रस्तुति, मूल्यांकन और भावी मार्गदर्शन के लिए छह महीने में एक बार शोध सलाहकार समिति (आर.ए.सी)/डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) के सम्मुख उपस्थित होगा। शोध सलाहकार समिति (आर.ए.सी)/डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) द्वारा इस संबंध में निर्मित छमाही प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी और इसकी एक प्रति शोधार्थी को दी जाएगी।

3.1.5 शोधार्थी की प्रगति संतोषजनक न होने की स्थिति में शोध सलाहकार समिति (आरएसी)/डॉक्टरल शोध समिति इस संबंध में उचित कारणों का लिखित ब्यौरा तैयार करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। शोधार्थी द्वारा इन सुधारात्मक उपायों को पूरा न कर पाने की स्थिति में शोध सलाहकार समिति (आरएसी)/डॉक्टरल शोध समिति (डीआरसी) विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विद्यापीठ/विश्वविद्यालय को शोधार्थी का पंजीकरण रद्द करने की सलाह देगी।

4. शोध समिति

4.1 यदि शैक्षिक परिषद ऐसे किसी विषय–क्षेत्र में शोध उपाधि कार्यक्रम की प्रस्तुति करने का निर्णय लेती है जो फिलहाल किसी भी विद्यापीठ को न सौंपा गया हो, तो ऐसे विषय–क्षेत्रों से संबंधित शोध उपाधि कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए एक शोध समिति का गठन किया जा सकता है। इस शोध समिति के लिए अलग से विनियम तैयार किए जा सकते हैं।

4.2 विद्यापीठ/विषय–क्षेत्र, शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं सहित, जैसा कि नीचे वर्णित है एकल आधार पर एम.फिल/पीएच.डी कार्यक्रमों की प्रस्तुति करेंगे।

4.2.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय–क्षेत्रों के मामले में, अबाधित बिजली एवं जल आपूर्ति, आवश्यक सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सुविधा समेत प्रत्येक शोधार्थी के लिए बैठने के पर्याप्त स्थान के प्रावधान वाले संबंधित संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट परिष्कृत उपस्करों एवं विशिष्ट शोध प्रयोगशालाओं की व्यवस्था से लैस के रूप में संस्थान।

4.2.2 सभी विषय–क्षेत्रों के लिए नवीनतम पुस्तकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं, ई–पत्रिकाओं और काम करने की विस्तारित अवधि के साथ विशिष्ट पुस्तकालय संसाधन और अध्ययन, लेखन और शोध सामग्री के भंडारण और शोध सामग्रियों के लिए विभाग/पुस्तकालय में शोधार्थियों हेतु बैठने के पर्याप्त स्थान की व्यवस्था।

4.2.3 विद्यापीठ/विषय–क्षेत्र निकटवर्ती संस्थाओं/कालेजों या अपेक्षित सुविधाओं वाली संस्थाओं/कालेजों/आर ऐंड डी प्रयोगशालाओं/संगठनों की अपेक्षित सुविधाओं का उपयोग भी कर सकते हैं।

5. विश्वविद्यालय में पंजीकरण और प्रवेश की विधि

5.1 विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रमों की पंजीकरण की प्रक्रिया और अनुसूची समय–समय पर शोध परिषद द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार इग्नू द्वारा निर्मित और घोषित की जाएगी। शोध एकक/शोध समन्वय प्रभाग (आरसीडी) विश्वविद्यालय के शोध उपाधि कार्यक्रमों के समग्र समन्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

5.2 **एम.फिल कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड**

आवेदक एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश और पंजीकरण का पात्र होगा, यदि वह समय–समय पर संशोधित यूजीसी **(एम.फिल/पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया)** विनियम, 2016 में निर्धारित अपेक्षाओं और साथ ही, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

5.2.1 यदि उसके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालचय से मास्टर उपाधि या अध्ययन के ऐसे क्षेत्रों में उसके समकक्ष न्यूनतम 55% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य योग्यता हो, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो या यूजीसी 7 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड–'बी' (या प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड हो, जहाँ ग्रेडिंग पद्धति को नहीं अपनाया गया हो) (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर सम्भ्रांत वर्ग) और दिव्यांग तथा समय–समय पर यूजीसी के निर्णय के अनुसार आवेदकों की अन्य श्रेणियों या 19 सितंबर, 1991 से पहले अपनी मास्टर उपाधि प्राप्त करने वालों के लिए 50% अंक), ग्रेस मार्क के बिना।

5.2.2 विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण और एम.फिल दिशा निर्देशों में दी गई ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करना।

तथापि, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए संबद्ध विषय–क्षेत्र ऐसे योग्य उम्मीदवारों की लघु–सूची बनाने के लिए अलग से नियमों और शर्तों का निर्धारण कर सकता है, जिन्होंने यूजीसी नेट(जेआरएफ/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/अध्यापक फेलोशिप धारक सहित) उत्तीर्ण किया हो।

5.3 **पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडः**

आवेदक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश और पंजीकरण का पात्र होगा, यदि वह समय–समय पर संशोधित यूजीसी (एम. फिल/पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में निर्धारित अपेक्षाओं और साथ ही निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

5.3.1 यदि उसके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालचय से मास्टर उपाधि या अध्ययन के ऐसे क्षेत्रों में उसके समकक्ष न्यूनतम 55% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य योग्यता हो, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो या यूजीसी 7 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड–'बी' (या प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड हो, जहाँ ग्रेडिंग पद्धति को नहीं अपनाया गया हो) (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर सम्भ्रांत वर्ग) और दिव्यांग तथा समय–समय पर यूजीसी के निर्णय के अनुसार उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों या 19 सितंबर, 1991 से पहले अपनी मास्टर उपाधि प्राप्त करने वालों के लिए 50% अंक), ग्रेस मार्क के बिना।

5.3.2 विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण और पीएच.डी दिशा निर्देशों में दी गई अन्य शर्तों को पूरा करता हो।

तथापि, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए कोई विषय–क्षेत्र ऐसे योग्य उम्मीदवारों की लघु–सूची बनाने के लिए अलग नियम और शर्तों का निर्धारण कर सकता है, जिन्होंने यूजीसी नेट(जेआरएफ/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/अध्यापक फेलोशिप धारक सहित) उत्तीर्ण किया हो।

5.3.3 यदि किसी अभ्यर्थी के पास किसी भारतीय संस्थान या किसी विदेशी शिक्षा संस्थान की एम.फिल की समतुल्य उपाधि हो जो उसके अपने देश में शिक्षण संस्थानों के किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन, प्रत्यायन या गुणवत्ता आश्वासन और मानकों के प्रयोजन से किसी कानून के तहत स्थापित या निगमित, किसी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत हो वे पी.एच.डी कार्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

6. संरचना और अवधि

6.1 एमफिल 32 क्रेडिट का कार्यक्रम है, जिसमें से 16 क्रेडिट का कोर्स वर्क है। एम.फिल कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार दो सेमेस्टर/एक वर्ष और अधिकतम अवधि लगातार 4 सेमेस्टर/2 वर्ष तक की होगी। **महिला अभ्यर्थियों और अक्षम व्यक्तियों (40% से अधिक अक्षमता वाले) को अधिकतम अवधि में एक वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।** आपवादिक परिस्थितियों में कुलपति द्वारा डॉक्टरल शोध समिति और स्कूल बोर्ड की संस्तुति के अनुसार एक साल के विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को एमफिल/पीएचडी की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों का मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

6.2 पीएचडी कार्यक्रम 80 क्रेडिट का होगा, जिसमें से 16 क्रेडिट का कोर्स वर्क होगा। पीएच.डी कार्यक्रम पूरा करने की न्यूनतम अवधि (कोर्स वर्क सहित) 3 वर्ष की और अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी। महिला अभ्यर्थियों और अक्षम व्यक्तियों (40% से अधिक अक्षमता) उम्मीदवारों को पीएचडी की अधिकतम अवधि में दो साल की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को पीएच.डी की कुल अवधि में एक बार 240 दिनों का मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

7. कोर्स वर्क

विश्वविद्यालय के एमफिल/पीएचडी के छात्रों को निर्धारित कोर्स वर्क पूरा करना होगा। किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा दी गई एम.फिल की उपाधि के लिए डीआरसी और संबंधित स्कूल बोर्ड द्वारा पीएच.डी कार्यक्रम में कोर्स वर्क में छूट प्रदान की जा सकती है।

7.1 एक सेमेस्टर की अवधि में एम.फिल या पीएच.डी. कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट का होगा। इसके अतिरिक्त डीआरसी, शोधार्थी को अपने शोध कार्य से संबंधित क्षेत्र में ज्ञान के अभाव की स्थिति में विशिष्ट ब्रिज कोर्स/अतिरिक्त कोर्स करने की सलाह दे सकता है।

7.2 एमएफिल/पीएचडी के लिए कोर्स वर्क को एक पूर्व शर्त माना जाएगा। शोध प्रविधि पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रमों को न्यूनतम चार क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसमें मात्रात्मक विधियाँ, गुणात्मक विधियाँ, मिश्रित विधियाँ, कंप्यूटर अनुप्रयोग, शोध आचार– शास्त्र और संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्य आदि जैसे क्षेत्र सम्मिलित किए जा सकते हैं। छात्रों को एम.फिल/पीएच.डी उपाधि के लिए तैयार करने के लिए अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे।

7.3 कक्षा–अध्याप्रन के साथ–साथ कोर्स वर्क का संचालन यूजीसी के नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय के व्यापक दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। एफफिल/पीएचडी कार्यक्रम के सभी पाठयक्रमों की पाठ्यक्रम–विषय वस्तु को स्कूल बोर्ड और शैक्षणिक परिषद द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अनुमोदित किया जाएगा।

7.4 शोध परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार और यूजीसी (एम.फिल/पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रकिया) विनियम 2016 के अनुरूप पाठयक्रम कार्य उस शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने की तारीख से अधिकतम 2 सेमेस्टर के भीतर पूरा किया जाना चाहिए जिसमें विद्यार्थी को पंजीकृत किया गया हो। यदि विद्यार्थी निर्धारित समय–सीमा में कोर्स वर्क को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो उसका प्रवेश/पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।

7.5 पूर्व–पी.एच.डी कोर्स वर्क का मूल्यांकन शोध समिति द्वारा यूजीसी विनियम 2016 के अनुरूप और समय–समय पर किए गए संशोधन के अनुसार अनुमोदित पी.एच.डी कार्यक्रमों के लिए इग्नू के दिशानिर्देशों में दी गई मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

7.6 पहले से एम.फिल उपाधि धारक और पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवार अथवा जिन्होंने पहले ही एम.फिल में कोर्स वर्क पूरा कर लिया हो और जिन्हें एकीकृत पाठ्यक्रम में पीएच.डी करने की अनुमति दी गई हो, उन्हें विषय–क्षेत्र के तहत पीएच.डी कोर्स वर्क से छूट प्रदान की जा सकती है। पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी अन्य उम्मीदवारों को विषय–क्षेत्र द्वारा निर्धारित कोर्स वर्क को पूरा करना होगा।

7.7 अनुसंधान प्रविधि पाठ्यक्रमों सहित कोर्स वर्क में ग्रेडों को डॉक्टरल अनुसंधान समिति और विभाग द्वारा संयुक्त मूल्यांकन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और अंतिम ग्रेड विद्यापीठ/विषय–क्षेत्र को संप्रेषित किए जाएंगे।

7.8 एम.फिल/पीएच.डी के शोधार्थियों को कार्यक्रम को जारी रखने और शोध पत्र/निबंध जमा कराने हेतु कोर्स वर्क में न्यूनतम 55% अंक् या यूजीसी–7 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड (या जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम का अनुसरण किया जाता हो, प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8. प्रवेश की प्रकिया

विश्वविद्यालय नियमित आधार पर एम.फिल/पीएच.डी कार्यक्रम प्रदान करता है। किसी सत्र में एम.फिल/पीएच.डी कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाला विषय–क्षेत्र, प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। एम.फिल/पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन समय–समय पर यथासंशोधिति यूजीसी विनियम, 2016 द्वारा शासित होगा।

8.1 (i) विषय–क्षेत्र, वार्षिक आधार पर उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों और अन्य अकादमिकों की संख्या और भौतिक सुविधाओं के आधार पर तथा छात्र–शिक्षक अनुपात (खंड 9.6 में उल्लेख के अनुसार), प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं के बारे में मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एम.फिल और/या पी.एच.डी के छात्रों की पूर्व निर्धारित और प्रबंधकीय संख्या निर्धारित करेगा।

(ii) उम्मीदवारों का चयन प्रवेश परीखा में 70% और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में 30% के कार्य–निष्पादन के आधार पर किया जाएगा।

(iii) प्रवेश परीक्षा में 50% अंक (एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांगजन के मामले में 45%) प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा।

(iv) साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाएगा, अर्थात क्या:

(क) उम्मीदवार प्रस्तावित शोध के लिए सक्षम है;

(ख) शोध कार्य को स्कूल/विषय–क्षेत्र के तहत उपयुक्त ढंग से किया जा सकता है; और

(ग) शोध का प्रस्तावित क्षेत्र नए/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान दे सकता है;

(v) विश्वविद्यालय वर्षवार आधार पर अपनी वेबसाइट पर एम.फिल/पीएच.डी के सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची का रखरखाव करेगा। इस सूची में पंजीकृत उम्मीदवार का नाम, उसके शोध का शीर्षक, उसके पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक का नाम, नामांकन/पंजीकरण की तारीख सम्मिलित होगी।

8.2 प्रत्येक प्रवेश चक्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध सीटों के विषय/क्षेत्र–वार उपलब्ध सीटों के वितरण, प्रवेश के लिए मानदंड, प्रवेश की प्रकिया, परीक्षा केंद्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी हैं और अन्य सभी संबंधित सूचनाएं उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पर्याप्त समय से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएंगी। प्रवेश घोषणा से संबंधित विज्ञापन कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।

8.3 विश्वविद्यालय एम.फिल/पी.एच.डी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय आरक्षण नीति का अनुपालन करेगा।

8.4 एम.फिल/पीएच.डी कार्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय की शोध परिषद द्वारा अनुमोदित और समय–समय पर संशोधित यूजीसी विनियम 2016 के अनुरूप और एम.फिल/पी.एच.डी कार्यक्रमों के लिए व्यापक इग्नू दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों पर आधारित होगा।

8.5 एम.फिल के सभी विद्यार्थियों को पूर्णकालिक आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तथापि पी.एच.डी के छात्रों की दो श्रेणियाँ **पूर्णकालिक और अंशकालिक** होंगी।

8.5.1 गैर–रोजगार प्राप्त शोधार्थी जो विश्वविद्यालय की शोध उपाधि कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं, पूर्णकालिक छात्रों की श्रेणी में आएंगे।

8.5.2 शोध उपाधि कार्यक्रम में पंजीकृत नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को अंशकालिक शोधार्थी माना जाएगा। छुट्टी के दौरान ऐसे शोधार्थियों को उनकी छुट्टी के अनुरूप की अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर पंजीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है।

8.6 आरंभ में एम.फिल/पी.एच.डी के लिए सभी प्रवेश कार्यक्रम अनंतिम होंगे और इनकी पुष्टि एम.फिल/पी.एच.डी कार्यक्रम के लिए शोध परिषद द्वारा उनके विषय–संक्षेप (सिनॉप्सिस) की स्वीकृति पर की जाएगी।

8.7 पी.एच.डी कार्यक्रम में पंजीकृत छात्र और/या इन्हें दी जाने वाली उपाधि, पर्यवेक्षक, डॉक्टरल शोध समिति और विद्यापीठ बोर्ड की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किसी भी कारण के मद्देनजर रद्द की जा सकती है:

(i) शुल्क का भुगतान न करना,

(ii) असंतोषजनक प्रगति,

(iii) इग्नू के अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों का गैर–अनुपालन,

(iv) निर्धारित समय सीमा के भीतर शोध निबंध/प्रबंध प्रस्तुत न कर पाना,

(v) किसी अन्य के शोध कार्य को अपना कहकर उसका दुरूपयोग करना,

(vi) शोधार्थियों पर लागू विषय–क्षेत्र संबंधी कोड में विनिर्दिष्ट कदाचार की स्थिति में

9. शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति

9.1 शोध उपाधि कार्यक्रम में पंजीकृत प्रत्येक शोधार्थी को इग्नू द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक के अंतर्गत कार्यक्रम पूरा करना होगा। शोधार्थियों के लिए पर्यवेक्षक/संयुक्त पर्यवेक्षक की संस्तुति इग्नू द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों के पैनल में से डॉक्टरल शोध समिति और संबंधित विद्यापीठ बोर्ड या शोध समिति द्वारा विश्वविद्यालय के पैनलबद्ध पर्यवेक्षकों में से की जाएगी। जहाँ संयुक्त पर्यवेक्षक की व्यवस्था है वहाँ मुख्य पर्यवेक्षक इग्नू का स्थायी शिक्षक होगा।

9.2 शोध पर्यवेक्षक के लिए पात्रता मानदंड:

(i) विश्वविद्यालय के सभी नियमित प्रोफेसर जिनके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पाँच शोध प्रकाशन हों और विश्वविद्यालय के सभी नियमित एसोसिएट/सहायक प्रोफेसर जिनकी पीएच.डी उपाधि के साथ संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन हों, शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्य होंगे, बशर्ते ऐसे क्षेत्रों/विषयों में जहाँ संदर्भ पत्रिकाएँ छपी न हों या सिर्फ सीमित संख्या में ही छपी हों, ऐसी स्थिति में लिखित रूप में दर्ज कारणों के साथ, संस्थान शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी की मान्यता के लिए उपर्युक्त शर्त में छूट प्रदान कर सकता है।

(ii) विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों में समकक्ष शैक्षणिक पदों पर काम करने वाले शैक्षिक जो इग्नू के सहयोग में काम कर रहे हों, पैरा (I) की शर्तों को पूरा करते हों और उनके प्रकाशन से यह स्पष्ट हो कि वे शोध कार्य में सकिय रूप से संलग्न हैं, शोध परिषद द्वारा शोध पर्यवेक्षक के रूप में चुने जा सकते हैं।

9.3 इग्नू के केवल पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाहरी पर्यवेक्षकों को इस कार्य की अनुमति नहीं है, तथापि, शोध परिषद के अनुमोदन से इग्नू के अन्य विभागों या अन्य संबंधित संस्थानों के सह–पर्यवेक्षक को अंतर–विषयक क्षेत्रों में अनुमति दी जा सकती है।

9.4 चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक का आबंटन प्रति शोध पर्यवेक्षक, शोधार्थियों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता और शोधार्थियों की शोध की अभिरूचि के आधार पर जैसा कि उन्होंने साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के समय में बताया था, इस आधार पर संबंधित डीआरसी द्वारा तय किया जाएगा।

9.5 ऐसे विषयों के मामले में जो अंतः–विषयक प्रकृति के हों और जहाँ संबंधित विभाग का मानना हो कि विभाग में उपलब्ध विषय विशेषज्ञता के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा करने की सहमति प्रदान करने वाले संस्थानों/आरआरआई द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों पर बाहरी विभाग/संकाय/कॉलेज/संस्थान से सह–पर्यवेक्षक के रूप में बाह्य विशेषज्ञता की प्राप्ति की जा सकती है।

9.6 कोई भी शोध पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक जो प्रोफेसर रहे हों, तीन से अधिक एम.फिल और आठ से अधिक पीएच.डी शोधार्थियों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे। शोध पर्यवेक्षक के रूप में एक सह–आचार्य अधिकतम दो एम.फिल और छह पीएच.डी शोधार्थियों का मार्गदर्शन करेगा और एक सहायक प्रोफेसर एक एम.फिल और चार पीएच.डी शोधार्थियों का मार्गदर्शन करेगा।

9.7 महिला शोधार्थी द्वारा एम.फिल/पीएच.डी के संबंध में स्थान परिवर्तन के संबंध में अपने विवाह या अन्य किसी भी कारण का उल्लेख करते हुए किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में अपने शोध डेटा को उस विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें शोधार्थी स्थानांतरित करवाना चाहती हो, बशर्ते इन विनियमों की अन्य सभी शर्तों का सही तरीके से पालन किया गया हो और शोध कार्य किसी भी वित्तपोषण एजेंसी से मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा सुरक्षित परियोजना से जुड़ा न हो, तथापि शोधार्थी के लिए पहले से किए गए शोध कार्य के अंश के लिए मूल मार्गदर्शक और संस्था को पर्याप्त श्रेय देना जरूरी है।

10. शोधार्थियों की प्रगति

पंजीकरण की तारीख से शोधार्थी पर्यवेक्षक को निर्धारित प्रारूप में आवधिक रूप से प्रगति रिपोर्ट (पूर्व प्रस्तुति सेमिनार तक छह महीने में एक बार) प्रस्तुत करेगा, जो इसे आगे शोधार्थी के कार्य के विस्तृत मूल्यांकन के साथ डॉक्टरल शोध समिति के माध्यम से संबंधित विद्यापीठ बोर्ड को भेजेगा।

11. एम.फिल/पी.एच.डी शोध प्रबंध की प्रस्तुति और मूल्यांकन

11.1 कोर्स वर्क के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर एम.फिल के लिए पंजीकृत शोधार्थी को शोध परिषद द्वारा अनुमोदित व्यापक दिशा निर्देशों में दिए गए प्रारूप में शोध निबंध प्रस्तुत करना होगा। शोध निबंध निम्नलिखित में से किसी पर भी

आधारित हो सकता है: फील्ड वर्क, शोध अध्ययन या अन्वेषण/प्रयोगशाला कार्य या किसी अन्य विषय पर ऐसा अन्य कार्य जिसे डॉक्टरल शोध समिति और विद्यापीठ बोर्ड अर्थात यथा मामला द्वारा अनुमोदित किया गया हो या जो शोध परिषद द्वारा अनुमोदित हो।

11.2 कोर्स वर्क के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर पीएच.डी के लिए पंजीकृत शोधार्थी को शोध परिषद द्वारा अनुमोदित विस्तृत इग्नू दिशानिर्देशों में दिए गए प्रारूप में एक शोध प्रबंध पस्तुत करना होगा। शोध प्रबंध मूल शोध कार्य का एक नमूना होना चाहिए जो नए या नवप्रवर्तनात्मक विचारों और विधियों, सैद्धांतिक व्याख्याओं या आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन करता हो या मौजूदा ज्ञान का संवर्धन करता हो।

11.3 पीएच.डी शोध प्रबंध के मसौदे के पूरा होने पर शोधार्थी को शोध परिषद द्वारा अनुमोदित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग/डॉक्टरल शोध समिति के सम्मुख पूर्व प्रस्तुति सेमीनार में अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करना होगा।

11.4 एम.फिल कार्यक्रम के मामले में शोध निबंध की तीन प्रतियाँ और पीएच.डी कार्यक्रम के मामले में शोध प्रबंध की चार प्रतियाँ इनफ्लिबनेट के दिशानिर्देशों के अनुसार सॉफ्ट कॉपी के साथ संबंधित शोध पर्यवेक्षक और संबंधित विद्यापीठ के निदेशक के माध्यम से शोध परिषद द्वारा अनुमोदित विस्तृत दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से निदेशक, शोध एकक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

11.5 एम.फिल/पीएच.डी शोध निबंध/शोध प्रबंध के परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन और कार्यविधि की योजना, यूजीसी विनियम 2016 के अनुरूप और समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार शोध परिषद द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का एक भाग होगी। इसमें अन्य बातों के साथ आंतरिक/बाहरी दोनों परीक्षकों की संख्या और कार्यक्रम के प्रत्येक घटक की अधिभारिता सम्मिलित है।

11.6 शोध परिषद, शोध निबंध/शोध प्रबंध की स्वीकृति/संशोधन/अस्वीकृति संबंधी सभी आवश्यक नियमों को निर्धारित करेगा।

11.7 शोध परिषद साहित्यक चोरी और शैक्षिक बेईमानी के अन्य रूपों की पहचान करने हेतु सुविकसित सॉफटवेयर और गैजेट का उपयोग कर एक तंत्र विकसित करेगा। मूल्यांकन के लिए शोध निबंध/प्रबंध प्रस्तुत करते समय शोधार्थी, कार्य की मौलिकता के सत्यापन के लिए शोध पर्यवेक्षक से सत्यापन करवा कर इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत कार्य किसी साहित्यिक चोरी का उत्पाद नहीं है और इस कार्य को उस संस्थान या किसी अन्य संस्थान में जहाँ यह कार्य किया गया था, किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए जमा नहीं कराया गया है और इसके लिए प्रारूप दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराया जाएगा।

11.8 शोध निबंध/प्रबंध जमा करने से पहले शोधार्थी संबद्ध डॉक्टरल शोध समिति/शोध सलाहकार समिति के समक्ष अपने कार्य की प्रस्तुति करेगा और उसका कार्य सभी संकाय सदस्यों और अन्य शोधार्थियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इन सभी के प्रत्युत्तरों और टिप्पणियों को डॉक्टरल शोध समिति की सलाह से मसौदा शोध निबंध/प्रबंध में उचित रूप से समावेशित किया जा सकें।

11.9 एम.फिल शोधार्थी सम्मेलन/सेमीनार में कम से कम एक शोध पत्र की प्रस्तुति करेंगे ओर पीएच.डी शोधार्थियों को संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम एक शोध पत्र और अंतिम प्रस्तुति हेतु शोध निबंध/प्रबंध जमा करने से पहले सम्मेलनों/सेमीनारों में दो शोध पत्र अवश्य प्रस्तुत करने होंगे और प्रमाणपत्र और/या रिप्रिंट के रूप में समान कार्य के साक्ष्य की प्रस्तुति करनी होगी।

11.10 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत एम.फिल (शोध निबंध) का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम एक बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाएगा जो विद्यापीठ/विषय क्षेत्र में रोजगार प्राप्त न हो। मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रस्तुत समीक्षाओं पर और अन्य सभी जरूरी बातों के आधार पर मौखिक परीक्षा का संचालन इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह कार्य शोध सलाहकार समिति/डॉक्टरल शोध समिति के सदस्यों, विषय–क्षेत्र के सभी संकाय सदस्यों, अन्य शोधार्थियों और अन्य इच्छुक विषय–विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं को भी शोधार्थी के कार्य में टिप्पणी और जरूरी सुझाव आदि हेतु पेश किया जाएगा।

11.11 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो बाह्य परीक्षक जो संस्थान/कालेज के स्थाई सदस्य न हों ओर जिनमें से एक देश से बाहर का भी हो सकता है, से कराया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रस्तुत समीक्षा और अन्य जरूरी निर्देशों पर आधारित मौखिक परीक्षा का संचालन शोध पर्यवेक्षक और दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक परीक्षक द्वारा किया जाएगा और यह कार्य शोध सलाहकार समिति/डॉक्टरल शोध समिति के सदस्यों, विषय–क्षेत्र के सभी संकाय सदस्यों अन्य शोधार्थियों और अन्य इच्छुक विषय–विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं को भी शोधार्थी के कार्य में टिप्पणी और जरूरी सुझाव आदि हेतु पेश किया जाएगा।

11.12 शोध निबंध/प्रबंध की पुष्टि हेतु शोधार्थी की लोक मौखिक परीक्षा का संचालन तभी होगा जब शोध निबंध/प्रबंध पर बाह्य परीक्षक (कों) की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो और जिसमें मौखिक परीक्षा संचालन की खास सिफारिश भी सम्मिलित हो। एम.फिल (शोध निबंध) के मामले में यदि बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट या पीएच.डी शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन या मौखिक परीक्षा के लिए सिफारिश के योग्य न हो तो संस्थान परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्यपरीक्षक को शोध निबंध/प्रबंध भेज देगा और इस संबंध में मौखिक परीक्षा अंतिम परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही आयोजित की जाएगी। यदि अंतिम परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक पाई जाती है तो शोध निबंध/प्रबंध रद्द कर दिया जाएगा और शोधार्थी को डिग्री की प्राप्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

11.13 इग्नू एम.फिल शोध निबंध/पीएच.डी (शोध प्रबंध) के मूल्यांकन की समूची प्रकिया, इसे जमा कराने के छह महीनों में पूरा करने हेतु उपयुक्त विधियों को विकसित करेगा।

12. एम.फिल/पीएच.डी. उपधि प्रदान करना

12.1 मौखिक परीक्षा पूरी हो जाने के बाद, बाहरी परीक्षक और शोध पर्यवेक्षक द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट और मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट संबंधित विद्यापीठ के निदेशक के माध्यम से शोध एकक को भेजी जाएगी। रिपोर्ट को कुलपति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद समय–समय पर संशोधित यूजीसी विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार कुलसचिव विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग द्वारा ग्रेड कार्ड और अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

12.2 शैक्षिक परिषद के अनुमोदन से शोधार्थी को एम.फिल/पीएच.डी की उपाधि प्रदान की जाएगी।

13. इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरी:

13.1 मूल्यांकन प्रकिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद और एम.फिल/पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने की घोषणा से पहले शोध एकक (आर.यू.)/आरसीडी एम.फिल शोध निबंध/पीएच.डी. शोध प्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि इनफ्लिबनेट को प्रस्तुत करेगी, जिससे सभी संस्थाओं/कॉलेजों के लिए इसे सुलभ बनाया जा सके।

13.2 उपाधि के वास्तविक अवार्ड से पहले इग्नू इस संबंध में एक अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करेगा कि उपाधि इन यूजीसी विनियमों, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है।

14. कठिनाइयों को दूर करना

उपर्युक्त अध्यादेश में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, कुलपति, विश्वविद्यालय में एम.फिल/पी.एच.डी कार्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों के संबंध में यूजीसी विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय ले सकते हैं।

(डॉ. वी.बी. नेगी)
कुलसचिव(प्रशासन) प्रभारी